बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

12/02/2024

संचिका सं0 – 01/भू0अ0नि0(13)आरोप(बेगूसराय)–10/2023/245 पटना, दिनांक :–

आदेश

दिनांक 10.05.2023 को अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बेगूसराय जिला के सर्वेक्षण कार्यो की समीक्षा की गयी है। समीक्षा के क्रम में यह बात प्रकाश में आयी कि श्री राधेश्याम कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN02376) द्वारा आवंटित राजस्व ग्राम के कार्यो में इनके द्वारा अभिरूचि नहीं ली जा रही है एवं कार्यो में लापरवाही तथा शिथिलता बरती जा रही है।

उपरोक्त समीक्षात्मक प्रतिवेदन के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 5101 दिनांक 20.06.2023 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। इनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति निदेशालय पत्रांक 6200 दिनांक 07.08.2023 एवं स्मार पत्रांक 8960 दिनांक 21.11.2023 द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय से मंतव्य सहित अनुशंसा की मांग की गयी। बंदोबस्त पदाधिकारी के पत्रांक 2424 दिनांक 01.12.2023 द्वारा मंतव्य/अनुशंसा प्रेषित किया गया है।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा यह मंतव्य दिया गया है कि श्री कुमार को दिनांक 03.12.2022 से ग्राम–विजय नारायण–124 (कुल खेसरा–702), ग्राम–जगरनाथपुर–47 (खेसरा–10) टैग किए जाने के बावजूद इनकी लापरवाही के कारण दिनांक 27.08.2022 से खानापुरी कार्य प्रारंभ किया गया है, परन्तु दिनांक 03.04.2023 तक भी इस मौजे के लिए खानापुरी तथा याद्दाश्त लेखन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, जिसे पूर्ण करने हेतु 03 अतिरिक्त अमीन को प्रतिनियुक्त कर कार्य पूर्ण कराया गया। साथ ही मंतव्य दिया गया है कि इनकी हठधर्मिता का प्रतिकूल प्रभाव अन्य सर्वे कर्मियों पर भी पड़ सकता है। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है।

समीक्षात्मक प्रतिवेदन एवं बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य/अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न अभिलेखों की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाता हूँ कि बंदोबस्त पदाधिकारी के मंतव्यानुसार इनके द्वारा 702 एवं 10 खेसरों वाले राजस्व ग्रामों का कार्य भी निर्धारित समय पर नहीं किया गया है, जिसे पूर्ण करने के लिए अन्य संविदा कर्मियों की मदद ली गयी। साथ ही ये कार्य पूर्ण करने के बजाय वरीय पदाधिकारियों के विरूद्ध विभिन्न फोरमों पर आरोप–प्रत्यारोप लगाते रहते है, जो इनकी कार्य शैली को स्वतः परिलक्षित करता है। साथ–ही–साथ इनके द्वारा निदेशालय से पूछे गये स्पष्टीकरण का जबाब भी समर्पित नहीं किया गया है, जो इनके मनमानेपन एवं वरीय पदाधिकारी के निदेश की अवहेलना को दर्शाता है। बंदोबस्त पदाधिकारी के मंतव्य से स्पष्ट है कि ये लापरवाह, उदासीन एवं अनुशासनहीन कर्मी है।

विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा मे पूर्ण करने के लिए विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का नियोजन किया गया है। इनके इस तरह के कृत्यों से इनको आवंटित ग्रामों के अन्य प्रक्रमों में विलंब हुआ है। यदि इन्हें स्पष्टीकरण से मुक्त किया जाता है, तो इसका कुप्रभाव अन्य सर्वेक्षण कर्मियों पर भी पड़ सकता है, इसके दृष्टिगत इनका संविदा नियोजन समाप्त किया जाना है उचित प्रतीत होता है।

ह0 पृ0 उ0

अतः बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम–8(4) में वर्णित प्रावधान के तहत श्री राधेश्याम कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN02376) का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(13)आरोप(बेगूसराय)–10/2023 245 **पटना, दिनांक** :– 12/02/2024

प्रतिलिपि :– श्री राधेश्याम कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN02376), बंदोबस्त कार्यालय, बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(13)आरोप(बेगूसराय)–10/2023 245 **पटना, दिनांक** :– 12/02/2024

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(13)आरोप(बेगूसराय)–10/2023 245 **पटना, दिनांक** :– 12/02/2024

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एंव R2R में संधारित इनकी व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप